भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4016
दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

बिजली की अनुमानित आवश्यकता

4016. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गांवों में किए गए विद्युतीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में देश में बिजली की अनुमानित आवश्यकता तथा उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ग) परीक्षण तथा वितरण के दौरान बिजली की मात्रा तथा राजस्व की हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए अध्ययन/आकलन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबादी वाले गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युत पहुंचा दी गई थी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों में विद्युत पहुंचाई गई (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर है)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा हो गया, सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों में विद्युत पहुंचाई गई (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** पर है)। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, सौभाग्य की अवधि के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी पहचाने गए परिवारों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवारों को स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है।

अब तक 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और 1,70,288 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर है)। इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत, ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 9,863 घरों के लिए 49 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और अब तक 1,062 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है (राज्यवार विवरण **अनुबंध-IV** पर है)।

(ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमानित अधिकतम मांग सौर ऊर्जा घंटों के दौरान 253 गीगावाट और गैर-सौर ऊर्जा घंटों के दौरान 235 गीगावाट है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 454 गीगावाट है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के लिए ऊर्जा की आवश्यकता 1,026,642 एमयू थी, जिसकी तुलना में 1,025,379 एमयू ऊर्जा की आपूर्ति की गई। यह देखा जा सकता है कि देश में आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा, ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप है।

(ग) और (घ) : वितरण क्षेत्र में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में ऊर्जा हानियां और राजस्व हानियां शामिल है। यह विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा (पारेषण हानि और ऊर्जा में व्यापार के लिए समायोजित) और संग्रह दक्षता द्वारा आंकलित की गई प्राप्त ऊर्जा जो बिल की गई ऊर्जा (ऊर्जा में व्यापार के लिए समायोजित) है के बीच के अंतर को दर्शाता है।

भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य जैसी स्कीमों के माध्यम से विद्युत वितरण अवसंरचना के उन्नयन और संवर्द्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की है, जिसके अंतर्गत 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में आरडीएसएस की शुरूआत की। इस स्कीम के अंतर्गत वितरण यूटिलिटियों के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि जारी करना एटीएंडसी हानि सहित विभिन्न मापदंडों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर करता है। तकनीकी हानियों को कम करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य योजना के आधार पर, नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने और बढ़ाने के लिए कार्यों को संस्वीकृति दी गई है जिसमें सब-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मर का उन्नयन/संवर्धन, कंडक्टरों का उन्नयन, मिश्रित-लोड फीडर का पृथक्करण आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वितरण कम्पनियों के वित्तीय और प्रचालनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी के समय पर भुगतान के लिए नियम बनाए गए हैं।
(ii) टैरिफ और ट्रू-अप ऑर्डर समय पर जारी करना।
(iii) सटीक ऊर्जा लेखांकन।
(iv) एलपीएस नियमों के प्रख्यापन के माध्यम से जेनको बकाया का समय पर भुगतान।
(v) राज्य विद्युत यूटिलिटियों को ऋण प्रदान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड जारी करना, और
(vi) जीएसडीपी के 0.5% के निष्पादन आधारित अतिरिक्त उधार स्थान।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयास से वितरण यूटिलिटियों की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 22.32% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 15.37% हो गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4016

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संगणना गांवों का विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4016

अनुबंध-II

सौभाग्य अवधि के दौरान विद्युतीकृत घर

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुदुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

***सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4016

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण को मंजूरी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत घर	दिनांक 30.11.2024 तक विद्युतीकृत घर
क.	अतिरिक्त घर				
1	राजस्थान	459	276	1,90,959	64,368
2	मेघालय	436	392	50,501	0
3	मिजोरम	80	72	15,167	0
4	नागालैंड	70	63	10,004	0
5	उत्तर प्रदेश	931	559	2,51,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49	30	15,475	12,841
7	झारखंड	7	4	872	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	77	69	10,730	0
9	बिहार	239	143	35,467	0
10	असम	786	707	1,27,111	0
11	अरुणाचल प्रदेश	47	42	6,506	0
12	मणिपुर	214	193	36,972	0
13	छत्तीसगढ़	317	190	63,161	0
	कुल (क)	3,712	2,740	8,14,412	77,209
ख.	वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के अंतर्गत				
1	हिमाचल प्रदेश*	6	5	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20	18	1,683	0
3	उत्तराखंड	13	12	1,154	0
	कुल (ख)	39	35	2,837	0
ग.	पीएम-जनमन के अंतर्गत				
ग1	आरडीएसएस के अंतर्गत				
1	आंध्र प्रदेश	89	53	25,054	24,426
2	बिहार	0	0	51	0
3	छत्तीसगढ़	38	23	7,077	4,525
4	झारखंड	74	44	12,442	62
5	मध्य प्रदेश	143	86	29,290	9,665
6	महाराष्ट्र	27	16	8,556	9,216
7	राजस्थान	40	24	17,633	15,817
8	कर्नाटक	4	2	1,615	1,105
9	केरल	1	1	345	312
10	तमिलनाडु	30	18	10,673	4,851
11	तेलंगाना	7	4	3,884	3,884
12	त्रिपुरा	62	55	11,664	7,028
13	उत्तराखंड	1	1	669	669
14	उत्तर प्रदेश	1	1	316	195
	उप-जोड़ (ग1)	516	328	1,29,269	81,755
ग2	राज्य योजना के अंतर्गत				
1	गुजरात	0	0		6,626
2	ओडिशा	0	0		1,326

3	पश्चिम बंगाल	0	0		3,372
	उप-जोड़ (ग2)				11,324
	कुल (ग=ग1+ग2)	516.15	328.31	1,29,269	93,079
घ.	डीए-जेजीयूए के अंतर्गत				
1	छत्तीसगढ़	12	7	2,550	0
2	महाराष्ट्र	2	1	480	0
	कुल (घ)	14	8	3,030	0
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	4,281	3,112	9,49,548	1,70,288

*: वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए संस्वीकृत कार्य

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4016

अनुबंध-IV

नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण को संस्वीकृति

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत घर	दिनांक 30.11.2024 तक विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	1,675	105
2	छत्तीसगढ़	1,578	0
3	झारखंड	2,342	831
4	कर्नाटक	179	0
5	मध्य प्रदेश	2,060	0
6	तेलंगाना	326	126
7	त्रिपुरा	1,703	0
कुल		9,863	1,062

****